कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी फिरोजाबाद।

पत्रांक:1844 / 20–गति सीमा मार्गवार / 2020

दिनांक:–24.09.2020

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि यदि राज्य सरकार का ऐसे किसी प्राधिकारी को जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो, समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से या किसी सडक या पुल के स्वरूप के कारण यह आवश्यक है कि मोटर यानों की गति परिसीमित की जाये, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और धारा 116 के अधीन उचित स्थानों पर यातायात चिन्ह रखवाकर या लगवाकर मोटर यानों की या किसी विर्निदिष्ट वर्ण या वर्णन के मोटर यानों की या ऐसे मोटर यानों की जिनके साथ ट्रेलर संलग्न है या तो साधारणतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र में या विशिष्ट सड़क या सड़कों के बारे में ऐसी अधिकतम गति सीमायें या न्यूनतम गतिसीमायें नियत कर सकेगी जो ठीक समझे।

उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1988 के नियम 178 मे वर्णित है कि नगर निगम, नगर पालिका या नगर पचायत के भीतर पुलिय अधीक्षक और अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में या किसी सडक पर गति पर निबन्धन या सामान्यतया मोटरयानों या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गो के मोटरयानों के प्रयोग पर निबन्धन या प्रतिषेध का ऐसा आदेश जैसा कि वह उचित समझे दे सकता है, ऐसे शासनादेश अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में और ऐसे स्थान या मार्ग पर या उसके निकट, जहॉ से लागू होते हैं, सूचना पटटों के माध्यम से प्रकाशित किये जायेंगे।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये फिरोजाबाद जनपद में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे पर अधिकतम गति सीमा की निम्नतालिका संस्तुति की जाती है:–

क्र0सं0	मोटरयान का वर्ग	एक्सप्रेस–वे पर मोर्थ द्वारा निर्धारित गतिसीमा	आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे पर जनपद फिरोजाबाद में पड़ने वाले मार्ग पर निबंधित कर निर्धारित गतिसीमा (किमी प्रतिघण्टा)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ऐसे मोटरयान, जिनका उपयोग खलक सीट के अतिरिक्त आठ सीटों से अनाधिक यात्रियों के वहन के लिये किया जाता है (एम 1 प्रवर्ग यान)	120	100
2.	ऐसे मोटरयान, जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त नौ या अधिक सीटों के यात्रियों के वहन के लिये किया जाता है (एम2 और एम 3 प्रवर्ग यान)	80	80
3.	ऐसे मोटरयान, जिनका उपयोग माल के वहन के लिये किया जाता है (सभी एन प्रवर्ग यान)	80	80
4.	मोटर साइकिल	80	80

उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा:–

अ) अग्नि शमन वाहन

ब) एम्बुलेंस

स) पुलिस वाहन

द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।

य) प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन के लिये प्रयुक्त वाहन।

Scanned by CamScanner

आज्ञा से

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,
जनपद फिरोजाबाद।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात) यातायात निदेशालय, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद।
5. निदेशक छपाई एवं मुद्रण, राजकीय प्रेस, जनपद फिरोजाबाद को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 फिरोजाबाद/निर्माण खण्ड–1 लो0नि0विभाग, फिरोजाबाद/निर्माण खण्ड भवन, लो0नि0वि0, फिरोजाबाद।
7. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा मण्डल आगरा।
8. उ0प्र0 एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

आज्ञा से

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,
जनपद फिरोजाबाद।